संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जिन स्थानों पर डाकघर खोलने के प्रस्ताव विभाग के विचारधीन हैं, उनका राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया हैं।

(ग) और (घ) जी हां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अपर सुलतानपुर में विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था क्योकि इसमें विभागीय पदों का सृजन शामिल है। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही हैं। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि संसाधन और योजना लक्ष्य उपलब्ध रहें।

(**देखिये परिशिष्ट** 181 **अनुपत्र सं**. 27)

Agreement with French Telephone Firm

780. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a French Telephone Firm is likely to setp up operation in India to market wireless, wireline etc.

(b) if so, the terms and conditions in this regard;

(c) whether any agreement has been made with this firm; and

(d) if so, the details -of the agreement?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) to (d) A Financial Protocol between the Govt, of the French Republic and the Govt, of India was signed on 1.12.94. Amongest various projects covered in the Protocol, a pilot project for urban mobile telephones was to be funded through a 2 million FF grant-I million included in the Protocol and I million FF form the French Company, M/S. DASSAULT.

However, the pilot project for urban mobile a telephones could not take off under the Indo-French Aid.

DOT has placed an order on M/S. DASSAULT, France, for supply of two systems of 1000 subscribers capacity each of CT-2 Technology for Wireless in Local Loop for field trial at Calcutta and Vajayawada at a cost of FF 84,63,320. Field trial of the system is under progress.

हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन का न लगाया जाना

781. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या संचार मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार परिमंडल, शिमला के मुख्य महाप्रबंधक, ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 1997 के ज्ञापन सं. कामर्श्यल /11-/97/13 के माध्यम से प्रश्नकर्त्ता की अनुशंसा पर हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर एक टेलीफोन लगाने के लिए स्वीकृति दी थी,

(ख) यदि हां, तो आज तक इस टेलीफोन के न लगने के क्या कारण हैं,

(ग) इसके लिए जिम्मेवार दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा दोषी लोगों के विरूद्व क्या कार्रवाई की गई हैं, और

(घ) यह टेलीफोन कब तक लगा दिया जाएगा?

संचार मंत्री (**श्री बेनी प्रसाद वर्मा**) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन के आबंटिती द्वारा संबंधित प्राधिकारी को अपना पंजीकरण विवरण अभी देना हैं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आबंटिती द्वारा उपर्युक्त (ख) पर उल्लिखित आवश्यक विवरण जब उपलब्ध करवा दिए जाते हैं बशर्ते कि अन्य औपचारिकताएं और तकनीकी व्यवहार्यता पूरी होती हों।